संख्या-2/सी.एम.टी.-96/2011- 2846

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव-सह-

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार,पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक- 13/7/2012

विषय:-निबंधन पुस्तिका (R.C.Book) वाहन स्वामियों को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 11.07.2012 एवं 12.07.2012 को हुए विडियो कन्फेंसिंग के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारियों के स्तर पर HSRP के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि HSRP लगाने हेतु निर्गत प्राधिकारपत्र एवं आर.सी.बुक संबंधित वाहन स्वामियों को उपलब्ध करा दिये जाते है।

2. वाहन स्वामी को प्राधिकार पत्र के साथ HSRP लगाने हेतु जिला परिवहन कार्यालय में HSRP काउंटर पर कंपनी के प्रतिनिधि को निर्धारित शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करना होता है, जिसके आधार पर Affixing Station पर जाकर गाड़ी में HSRP लगानी होती है ।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ से जितने प्रधिकार पत्र निर्गत होते हैं, उतने HSRP के रसीद निर्गत नहीं होते है । फलत: निर्गत प्राधिकार पत्र की संख्या एवं HSRP हेतु निर्गत रसीद की संख्या में भिन्नता के कारण HSRP का क्रियान्वयन धीमी चल रहा है।

4. अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह निदेश दिया जाता है कि वाहन स्वामियों को आर.सी. बुक तभी उपलब्ध कराया जाय जबकि उक्त वाहन स्वामी HSRP का रसीद प्राप्त कर एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर (48 घंटे के अंदर) अपने वाहन पर HSRP लगाना सुनिश्चित करें । नये निबंधन वाले वाहन स्वामी के संबंध में इस तथ्य से संतुष्ट होकर ही उनके आर.सी.बुक (स्मार्टकार्ड) उन्हें उपलब्ध कराये जायें ।

5. अगर कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा समय-सीमा के भीतर वाहन पर HSRP नही लगाया जाता है तो एकरारनामा की कंडिका-2.11.1 (ii) में निहित प्रावधानों के तहत 200/- रुपया प्रति प्लेट प्रतिदिन की दर से liquidated Damage की गणना कर स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय ।

6. डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के मामले में भी सख्ती के साथ यही प्रक्रिया अपनायी जाय । जिन प्राधिकृत डीलरों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत वाहन निबंधन के कागजात HSRP टोकन निर्गत करने हेतु जमा नहीं किया जाता है, उनके विरूद्ध "अनुज्ञप्ति प्राधिकार" की हैसियत से संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी ट्रेड लाइसेंस निलंबित करने/ रद्द करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,

13/7/12

प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/7/12

प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।